



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-26/2017-325 दिनांक : 15/05/23

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल/ दुमका वन प्रमंडल/
साहेबगंज वन प्रमंडल/ पाकुड़ वन प्रमंडल/ लोहरदगा वन प्रमंडल/
गुमला वन प्रमंडल/ राँची वन प्रमंडल/ सिमडेगा वन प्रमंडल/
जमशेदपुर वन प्रमंडल/ सरायकेला वन प्रमंडल/ चाईबासा वन प्रमंडल/
पोड़ाहाट वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक
वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत
अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले
पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु कुल **रु0 166.202 लाख**
(एक करोड़ छियासठ लाख बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का
ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-31/2017-21/स्वी0 व0प0
दिनांक-09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-35/
2022-02/TSP व0प0 दिनांक 28.04.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र
उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत
वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 166.202 लाख (एक
करोड़ छियासठ लाख बीस हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179658010103	166.202
कुल :-		166.202

2.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर
वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन
उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060179658010103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्म्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-26/2017-325 दिनांक-15/05/23

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल कार्यालय, वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-26/2017-325 दिनांक-15/5/23

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ साहेबगंज/ पाकुड़/ लोहरदगा/ गुमला/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावा/ चाईबासा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			4209.79	0.00	4209.79
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	100.00	4.210	0.000	4.210
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	50.00	2.105	0.000	2.105
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	100.00	4.210	0.000	4.210
4	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	45.00	1.894	0.000	1.894
5	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	260.00	10.944	0.000	10.944
6	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	200.00	8.420	0.000	8.420
7	राँची वन प्रमंडल, राँची	250.00	10.524	0.000	10.524
8	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	222.00	9.346	0.000	9.346
9	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	386.00	16.250	0.000	16.250
10	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	100.00	4.210	0.000	4.210
11	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	90.00	3.789	0.000	3.789
12	पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	100.00	4.210	0.000	4.210
13	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	100.00	4.210	0.000	4.210
14	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	200.00	8.420	0.000	8.420
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	150.00	6.314	0.000	6.314
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	100.00	4.210	0.000	4.210
योग :-		2453.00	103.266	0.000	103.266

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			4209.79	0.00	4209.79
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	50.00	2.105	0.000	2.105

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			4209.79	0.00	4209.79
i	ii	iii	iv	v	vi
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	50.00	2.105	0.000	2.105
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	50.00	2.105	0.000	2.105
4	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	20.00	0.842	0.000	0.842
5	राँची वन प्रमंडल, राँची	270.00	11.366	0.000	11.366
6	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	100.00	4.210	0.000	4.210
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	100.00	4.210	0.000	4.210
8	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	60.00	2.526	0.000	2.526
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	100.00	4.210	0.000	4.210
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	100.00	4.210	0.000	4.210
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	300.00	12.628	0.000	12.628
योग :-		1200.00	50.517	0.000	50.517

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			4209.79	0.00	4209.79
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	50.00	2.105	0.000	2.105
2	राँची वन प्रमंडल, राँची	100.00	4.210	0.000	4.210
3	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60.00	2.526	0.000	2.526
4	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	55.00	2.315	0.000	2.315
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	30.00	1.263	0.000	1.263
योग :-		295.00	12.419	0.000	12.419
सकल योग :-		3948.00	166.202	0.000	166.202

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो०ब०-31/2017-21/स्वी० व०प० दिनांक 09.08.2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, भू-संरक्षण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण
पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	हे०	12.17	4209.79		4209.79	
योग :-			12.17	4209.79	0.00	4209.79	

- नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2017/325

दिनांक - 15-May-2023

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25683	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	842,000.00 रुपये आठ लाख बयालीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25684	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	421,000.00 रुपये चार लाख इक्कीस हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25685	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	631,500.00 रुपये छः लाख इक्तीस हजार पाँच सौ 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ

1,894,500.00

क्रमिक योग:


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. DEPT. SECY. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25687	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	273,600.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25688	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	1,094,400.00 रुपये दस लाख चौरानवे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25690	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	842,000.00 रुपये आठ लाख बयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये इकतालीस लाख चार हजार पाँच सौ

2,210,000.00

क्रमिक योग:

4,104,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDT, POCE DEV, BHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25691	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	2,610,000.00 रुपये छब्बीस लाख दस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25693	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	934,600.00 रुपये नौ लाख चौतीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25694	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	2,298,600.00 रुपये बाइस लाख अठानवे हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये निम्नानवे लाख सैतालीस हजार सात सौ

5,843,200.00

क्रमिक योग:

9,947,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25696	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	1,073,500.00 रुपये दस लाख तीहत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25698	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	631,500.00 रुपये छः लाख इक्कीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25700	SGHFOR003 SRI ALOK KUMAR VERMA, IFS D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	421,000.00 रुपये चार लाख इक्कीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड बीस लाख तीहत्तर हजार सात सौ

2,126,000.00

क्रमिक योग:

12,073,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25702	DRNFWL004 SRIKANT VERMA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	842,000.00 रुपये आठ लाख बयालीस हजार
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25703	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	842,000.00 रुपये आठ लाख बयालीस हजार
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	25704	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	1,178,700.00 रुपये ग्यारह लाख अठहत्तर हजार सात सौ
योग:				2,862,700.00
क्रमिक योग:				14,936,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

8001 PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25705	SGHFOR001 ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	421,000.00 रुपये चार लाख इक्कीस हजार

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

17	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25706	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	1,262,800.00 रुपये बारह लाख बासठ हजार आठ सौ
----	---	-------	---	---

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये एक करोड छायठ लाख बीस हजार दो सौ

1,683,800.00

क्रमिक योग:

16,620,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

PCCF DEV. JHARKHAND